हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 फरवरी, 2014

संख्या सा०का०नि० 18/संवि०/अनु० 309/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त क़ी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1984, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम 2014 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार ग्रुप ग सेवा नियम 1984 में परिशिष्ट 'ख' में, क्रम संख्या 3 तथा 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"3.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकारक (पुरुष)	(i) 10+2 जीव विज्ञान या विज्ञान। (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान। (iii) सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से बहुउद्दशीय स्वास्थ्य कर्मकार का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	(i) 10+2 जीव विज्ञान या विज्ञान। (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान। (iii) सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से बहुउद्दशीय स्वास्थ्य कर्मकार का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
4.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकारक (महिला)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 आर्टस, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोटैक्नोलोजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यवसायिक अध्ययन, लेखा शास्त्र, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र तथा अंग्रेजी कोर/अंग्रेजी इलैक्टिव या विज्ञान या स्वास्थ्य देखरेख विज्ञान - व्यवसायिक स्ट्रीम बोर्ड के नियम अनुसार ऐच्छिक विषय। (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान। (iii) सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से ए०एन०एम० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 आर्टस, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोटैक्नोलोजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यवसायिक अध्ययन, लेखा शास्त्र, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र तथा अंग्रेजी कोर/अंग्रेजी इलैक्टिव या विज्ञान या स्वास्थ्य देखरेख विज्ञान - व्यवसायिक स्ट्रीम बोर्ड के नियम अनुसार ऐच्छिक विषय। (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान। (iii) सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से ए०एन०एम० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।"।

नोट : जिन बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरुष) या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (महिला) ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार या ए०एन०एम० का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मैट्रिक सहित, संशोधन की अधिसूचना से पहले किया है, उन्हें योग्य माना जाएगा।

नदराज संधु,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

Scanned with CamScanner

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 21st February, 2014

No. G.S.R. 18/Const./Art. 309/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' Service Rules, 1984, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' Service (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' Service Rules, 1984, in Appendix B, for serial numbers 3 and 4 and entries thereagainst :—

"3. Multipurpose Health Worker (Male)	(i) 10+2 with Biology or Science. (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education. (iii) Multipurpose Health Workers Training Course from an institution approved by the Government.	(i) 10+2 with Biology or Science. (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education. (iii) Multipurpose Health Workers Training Course from an institution approved by the Government.
4. Multipurpose Health Worker (Female)	(i) 10+2 Arts, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Biotechnology, Economics, Political Science, History, Geography, Business Studies, Accountancy, Home Science, Sociology, Psychology and Philosophy and English Core/ English Elective or Science or Health Care Science - Vocational Stream only, from a recognised Board. Optional subjects as per rule of the Board. (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education. (iii) ANM Training Course from an institution approved by the Government.	(i) 10+2 Arts, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Biotechnology, Economics, Political Science, History, Geography, Business Studies, Accountancy, Home Science, Sociology, Psychology and Philosophy and English Core/ English Elective or Science or Health Care Science - VocationalStream only, from a recognised Board. Optional subjects as perrule of the Board. (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education. (iii) ANM Training Course from an institution approved by the Government.".

Note : The MPHW (Male) or MPHW (Female) who have done MPHW training course or ANM training course with Matric prior to the notification of this amendment shall be eligible.

NAVRAJ SANDHU,

Principal Secretary to Government Haryana,

Health Department.

Scanned with CamScanner